

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन जयपुर/एफ.31065/2025/

दिनांक :

आदेश

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17 (10) डीओपी/ए-11/94 दिनांक 08.02.2018 व दिनांक 28.03.2023 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 164 ए के अन्तर्गत निदेशालय के आदेश क्रमांक 417A दिनांक 08.10.2023 के द्वारा श्री श्रीकृष्ण रैगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (से.नि.) को समेकित पारिश्रमिक पर राशि 13200/- मानदेय पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पुर्ननियुक्ति कार्यग्रहण तिथि से एक वर्ष के लिये (अधिकतम 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा नियमित नियुक्ति से कार्मिक के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक के लिए) पुर्ननियुक्ति सेवा अवधि में प्रथम बार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इनका पदस्थापन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र अमरसर जयपुर में किया जाता है। इन्हें एक वर्ष में 12 दिवस का वैतनिक आकस्मिक अवकाश देय होगा। उपार्जित अवकाश एवं अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन जयपुर/एफ.31065/2025/28

दिनांक : 19/02/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा.(ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा.(ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम।
6. प्रभारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, अमरसर जयपुर।
7. श्री श्रीकृष्ण रैगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (से.नि.) को पालनार्थ।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :19-02-2025 02:22:47